

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- एफ.2(ग)एसीपी/1992 स्पे.-111/ 361

दिनांक :- 26.5.2022

आदेश संख्या:- 22 / 2022-23

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.15(1)एफ.डी./रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 एवं स्पष्टीकरण क्रमांक प.14(88)वित्त(नियम)2008 दिनांक 12.01.2018 के अनुसरण में निम्नांकित कार्मिकों को कनिष्ठ लेखाकार के पद पर 27 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर उनके कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से प्राप्त संतोषजनक सेवा संबंधी प्रमाण पत्र एवं संतान घोषणा पत्र के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 6 में उल्लेखित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद की तृतीय आशवासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) पे मैट्रिक्स के लेवल L-13 में स्वीकृत की जाती हैं।

क्र. सं.	नाम (सर्वश्री)	मेरिट/ बैच नं.	लिंक नम्बर	कनिष्ठ लेखाकार /समान लेवल के अन्य पद पर प्रथम कार्यग्रहण तिथि	तृतीय एसीपी देय तिथि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	केशव देव मीना	21/92 Sp	3105	23.01.1995	23.01.2022	
2.	राम गोपाल मीना	22/92 Sp	4970	23.01.1995	23.01.2022	
3.	मोहर सिंह मीना	126/92 Sp	3351	23.01.1995	23.01.2022	
4.	जमनालाल मीणा	144/92 Sp	8984	23.01.1995	23.01.2022	
5.	गिरिराज प्रसाद बैरवा	33/92 Sp	8709	23.01.1995	23.01.2022	
6.	राजेन्द्रसिंह	34/92 Sp	9038	30.03.1995	30.03.2022	
7.	रोशनलाल नागरवाल	46/92 Sp	4986	23.01.1995	23.01.2022	
8.	ओमप्रकाश रैगर	52/92 Sp	3716	23.01.1995	23.01.2022	
9.	मोहन लाल सिंघल	86/92Sp	3343	23.01.1995	23.01.2022	
10.	रामावतार बैरवा	96/92 Sp	5000	23.01.1995	23.01.2022	
11.	शिवशंकर भूपारिया	97/92 Sp	5743	23.01.1995	23.01.2022	9 वर्ष की एपीएआर प्राप्ति के आधार पर स्वीकृत
12.	अमर सिंह	99/92 Sp	9004	23.01.1995	23.01.2022	
13.	भैवर लाल तँवर	114/92 Sp	3639	23.01.1995	23.01.2022	
14.	मांगूराम	123/92 Sp	3349	23.01.1995	23.01.2022	
15.	गजानन्द असवाल	125/92 Sp	2540	23.01.1995	23.01.2022	
16.	अशोक कुमार बुनकर	132/92 Sp	3587	23.01.1995	23.01.2022	
17.	कन्हैयालाल बुनकर	138/92 Sp	3113	23.01.1995	23.01.2022	
18.	हेतुराम घौरण	140/92 Sp	2592	23.01.1995	23.01.2022	

उपरोक्त तालिका के क्रम संख्या 11 पर अंकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-प्रथम के गत 07 वर्ष में से पूरे 07 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होने पर वित्त विभाग के

Acp order

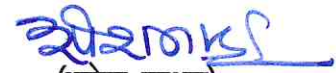


आदेश दिनांक 27.07.2012 द्वारा प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर गत 09 वर्ष में से 7 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की उपलब्धता के आधार पर तृतीय आश्वासित कैरियर प्रगति इस शर्त पर स्वीकृत की जाती है कि भविष्य में उक्त अवधि के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जाकर तदनुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

उपरोक्त कार्मिकों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त अधिसूचना दिनांक 30.10.2017 के नियम 14(2) एवं अधिसूचना दिनांक 09.12.2017 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि इन्हें—

1. पुनरीक्षित वेतनमान 2017 के अनुसार वेतन भुगतान किया जा रहा है।
2. पूर्व में तृतीय आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृत नहीं की गई है।
3. कॉलम संख्या 6 में उल्लेखित आश्वासित कैरियर प्रगति देय तिथि से गत 7 वर्ष पूर्व तक कोई दण्ड नहीं दिया गया है।
4. इनके विरुद्ध फौजदारी/विभागीय जांच लंबित अथवा प्रस्तावित नहीं है।
5. गत 7 वर्षों से नियमित वेतन वृद्धियां मिल रही हैं।

इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि संबंधित कार्मिकों की सेवापुस्तिका में आवश्यक रूप से की जावे।


(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक :- एफ.2(ग)एसीपी/1992 स्पे.-।।।/ 361

दिनांक :- 26.5.2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....
2. सहायक निदेशक (एपीएआर शाखा)
3. संबंधित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-।.....
4. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
5. उपनिदेशक (एसीपी) विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. गार्ड फाईल/गोपनीय अनुभाग।



(धीरज सिसोदिया)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)